

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 16-06-2021

आज दिनांक 16.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौरस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

1 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वस्तुओं एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान रोशया तिराहा के पास से भागवत प्रसाद पुत्र भालचन्द्र निवासी लौकिहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 1 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 309 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी पुलिस चौकी पौली उ0नि0 श्री मनोज पटेल, हे0का0 विजय सिंह, हे0का0 सर्वानन्द सिंह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2548 द्वारा मार्ग दुर्घटना मे घायल व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत कांटे से इवेन्ट संख्या 01869 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 03 व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 09 मिनट में पहुँचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्तियों को जरिए एंबुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 अरविन्द कुमार, मु0आ0 रामानन्द चौधरी, हो0चा0 रामकृष्ण मौर्य ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 97 वाहनो से 71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 97 वाहनो से 71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।